रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 1992/ज्येष्ठ 28, 1914
No. 269] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 1992/JYAISTHA 28, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 1992

सा. का. नि. 599 (अ):—भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा. का. नि. सं. 85(ई), दिनांक 21-2-91 के अनुसार प्रकाशित पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार के संकल्प के पैरा 5 में रिकार्ड किए गए निर्णय का इस्तेमाल करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्नेहक तेलों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों के रूप में परखी लगाने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अधिसूचित करती है ।

1. सामान्य अपेक्षाएं

(1) सभी स्नेहक/विशेषता तेल भारतीय मानक ब्यूरो के सम्बन्धित मानकों को पूरा करेंगे ।

(2) उत्पाद विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को आवेदन करते समय पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के तहत प्राधिकरण, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अनुसार मंजूरी पत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए ।

(3) उत्पाद पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिश्चित महत्वपूर्ण घटकों को उनके वजन के अनुसार प्रतिशत के आधार पर मौजूद मात्रा के क्रम के अनुसार एक सूची लगाई जानी चाहिए ।

(4) उत्पाद पैकेज पर संक्षेप में वह मानदण्ड लिखा जाए, जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होने की परखी लगाई गई है ।

(5) उत्पाद की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनः चक्रोयन-योग्य, पुनःप्रयोज्य अथवा जैव अवक्रमणीय होगी ।

(6) उत्पाद पैकेज अथवा उसके साथ पर्चे पर उत्पाद के सही प्रयोग, भण्डारण, परिवहन सम्बन्धी अनुदेश और प्रयोग के पश्चात् उसके निपटान के बारे में दिशा-निर्देश तथा उसकी सुरक्षित सम्भलाई को वेताजनिया लिखा होगो, ताकि उत्पाद के निष्पादन का अधिकतम और इसकी बेकारी को न्यूनतम रखा जा सके ।

2. उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाएं

(क) स्नेहक तेल (परिशुद्ध) : तेलों को निम्नलिखित किस्में शामिल हैं :

—स्नेहक—वनस्पति तेलों पर आधारित

—स्नेहक—वनस्पति तेलों पर आधारित स्नेहकों से भिन्न ।

ईकोमार्क प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट अपेक्षाएं पूरी की जायेंगी:—

1. ओ एस एच ए/ई पी टी सी/आई ए आर सी प्रणाली द्वारा परीक्षण किए जाने पर उत्पाद में किसी प्रकार का कार्सिनोजेनिक घटक नहीं होगा ।

इण्डियन आयल कार्पोरेशन, अनुसंधान और विकास केन्द्र, फरीदाबाद, भारतीय मानक ब्यूरो को ब्यौरा देंगे ।

उत्पाद का जलीय जीवाणुओं पर विषैला प्रभाव नहीं होना चाहिए । ई सी 50/एल सी 50, 1.0 मि. ग्रा. प्रति लिटर से कम नहीं होगा ।

नोट:—किए जाने वाले परीक्षण का तरीका भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से तय किया जाएगा ।

3. आधार तेल, योगजो और तैयार उत्पादों में निम्नलिखित जैव अवक्रमणीयता का प्रतिशत होना चाहिए:—

स्नेहक	न्यूनतम जैव-अवक्रमणीयता
स्नेहक (वनस्पति तेल पर आधारित)	90./.
स्नेहक (वनस्पति तेल पर आधारित स्नेहकों से भिन्न)	70./.

उक्त प्रतिशत जैव-अवक्रमणीयता की जांच ओ. ई. सी. डी. परीक्षण तरीके से सी ई सी-एल-33-टी-82 तथा 21 दिनों में की जाएगी ।

4. उत्पाद में सीसा और बेरियम जैसा विषैली धातुएं नहीं होंगी । ए. ए. एस. तरीके से परीक्षण किए जाने पर एन्टीमनी की मात्रा 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । उत्पाद में पी सी बी, पी सी टी तथा नाइट्राइट जैसे हैलोजिनेटेड उत्पाद नहीं होने चाहिए ।

नोट:—विनिर्माता इस सम्बन्ध में सम्बन्धित आंकड़ों के साथ-साथ दस्तावेजी प्रमाण भी भारतीय मानक ब्यूरो को देगा ।

(ख) पुनःशोधित/पुनःपरिष्कृत तेलों से तैयार स्नेहक

1. उत्पाद में पुनःशोधित/पुनःपरिष्कृत उत्पादों, जिन्हें पर्यावरण के अनुकूल पुनः-परिष्करण प्रक्रिया के जरिए पुनःशोधित किया जाएगा, की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक होगी ।

नोट :1. विनिर्माता इस संबंध में सम्बन्धित आंकड़ों के साथ-साथ दस्तावेजी प्रमाण भी भारतीय मानक ब्यूरो को देगा ।

नोट : 2. जिन स्नेहकों में 2000 भाग प्रति मिलियन पी सी बी से अधिक होगा, उन्हें परिसंकटमय अपशिष्ट माना जाना चाहिये और इसलिये उन्हें पुनः परिष्कृत/पुनःशोधित नहीं किया जायेगा ।

2. उत्पाद, पैरा 02(क) में उल्लिखित स्नेहक तेलों (परिशुद्ध) के अनुसार उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करेंगे ।

3. भारतीय मानक ब्यूरो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल विशेषताओं के लिये वैकल्पिक मानक बना सकता/शामिल कर सकता है ।

4. आपत्तियां दायर करना : स्नेहक तेलों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होने की पर्ची लगाने के लिये इन मानदण्डों के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति कोई आपत्ति दायर करना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर उप सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में अपनी आपत्ति भेज सकता है ।

[सं. 23/6/91-पी एल]

केशव देसिराजू, उप सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 1992

G.S.R. 599(E).—In exercise of the decision recorded in Paragraph 5 of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Environment & Forests, publised vide GSR No. 85 (E) dated 21-2-91 in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) the Central Government hereby notifies the following criteria for labelling LUBRICATING OILS as ENVIRONMENT FRIENDLY PRODUCTS.

1. GENERAL REQUIREMENTS

(i) All lubricating/speciality oils shall meet relevant Indian Standards notified by Bureau of Indian Standards (BIS).

(ii) The product manufacturer must produce the consent clearance as per the provision of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 respectively along with the authorisation if required, under Environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder, to Bureau of Indian Standards while applying for the ECOMARK.

(iii) The product must display the list of critical ingredients in descending order of quantity present in per cent by weight, to be decided by BIS.

(iv) The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly.

(v) The material used for product packaging shall be recyclable or reusable or biodegradable.

(vi) The product package or leaflet accompanying it shall display instructions of proper use, storage, transport and recommended disposal guidelines after use and safe handling precautions so as to maximise the product performance and minimise wastage.

2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS

(A) Lubricating Oils (Virgin) : Following categories of oil are included:

—Lubricants : Vegetables: Oil based.

—Lubricants: Other than Vegetable oil based.

Following specific requirements shall be fulfilled in order to qualify for the ECOMARK :

(i) The product shall not contain any carcinogenic ingredients when tested as per OSHA/NTP/IARC method.

Note : Indian Oil Corporation, R&D Centre, Faridabad shall provide the details to BIS.

(ii) The product must not have toxic effect on aquatic organisms. EC 50/LC 50 shall be less than 1.0 mg/litre.

Note : The method of testing to be followed shall be decided by BIS in consultation with the Central Pollution Control Board.

(iii) The base oil, additives and formulated products must have per cent biodegradability as mentioned below:—

Lubricant	Minimum Biodegradability
Lubricants (Vegetable Oil based)	90%
Lubricants (Other than Vegetable Oil based)	70%

The above mentioned per cent biodegradability shall be tested as per OECD test method CEC-L-33-T-82 and in 21 days.

(iv) The product shall not contain toxic metals such as Lead and Barium. Antimony would not be used in concentration beyond 0.25% when tested as per AAS method. The product must not contain halogenated products such as PCBs PCTs, and Nitrites.

Note : The Manufacturer shall provide documentary evidence to BIS in this effect alongwith the supporting data

(b) Formulated Lubricants from Re-claimed/Re-Refined Oils

(i) The product shall contain more than 50% by volume re-refined/recycled products, reclaimed through environmentally compatible re-refining process.

Note : 1 The manufacturer shall provide documentary evidence to BIS to this effect alongwith supporting data.

Note : 2 The lubricants containing more than 2000 parts per million of PCBs, should be treated as Hazardous Waste and therefore shall not be refined/reclaimed.

(ii) The product shall meet the product specific requirements as per lubricating oils (Virgin) as mentioned at para 02(A).

3. BIS may formulate/incorporate optional standards for environment friendly characteristics.

4. Filing of Objections : Any person interested in filing any objection against these criteria for labelling Lubricating oils as Environment Friendly may do so in writing to the Deputy Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003, within SIXTY DAYS from the date of Publication of this notification in the Official Gazette.

[No. 23/6/91-PL]

KESHAV DESIRAJU, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 1992

सा.का.नि. 600(अ)— भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 85(ई) दिनांक 21-2-91 के अनुसार प्रकाशित पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार के संकल्प के पैरा 5 में रिकार्ड किये गये निर्णय का इस्तेमाल करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा खाद्य तेलों, चाय और काफी को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उत्पादों के रूप में पर्ची लगाने के लिये निम्नलिखित मानदण्ड अधिसूचित करती है:—

1. सामान्य अपेक्षाएं :

1. खाद्य तेलों, चाय और काफी के सभी संघटक भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता के संबंध में संबंधित मानकों को पूरा करेंगे ।

2. उत्पाद विनिर्माता को ईकोमार्क के लिये भारतीय मानक ब्यूरो को आवेदन करते समय पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के अन्तर्गत प्राधिकरण, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के उपबंधों के अनुसार मंजूरी पत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिये तथा उत्पाद, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार होने चाहिये । इसके अतिरिक्त, वनस्पति के मामले में, विनिर्माता वनस्पति निदेशक, सिविल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1975 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा ।

3. उत्पाद में मौजूद महत्वपूर्ण संघटकों की मात्रा (% डब्ल्यू/डब्ल्यू, अथवा वी/वी) के क्रम में उन संघटकों की सूची उत्पाद पर अवश्य लगाई जायेगी। इन संघटकों की सूची का अभिनिर्धारण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जायेगा।

4. उत्पाद पैकेज पर संक्षेप में वह मापदण्ड लिखा जाये, जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होने की पर्ची लगाई गई है।

5. उत्पाद की पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त सामग्री पुनःचक्रीयनयोग्य अथवा जैवअवक्रमणीय होगी तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पैकेजिंग के लिये माप-दण्ड भी लागू होगा।

2. उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाएं

क. खाद्य तेल

श्रेणी 1 : कच्चा और परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेल

1. उत्पाद एफ्लाटोक्सिन रहित होगा।

2. उत्पाद में कीटनाशी अवशेष (यदि कोई हों) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके अन्तर्गत बनी नियमावली में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।

3. उत्पाद का विनिर्माण पालि-सईक्लिक-ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों सहित किसी प्रकार के कार्सिनोजेनिक पदार्थों से नहीं किया जायेगा।

4. विषाक्त धातु की मात्रा (यदि कोई हो) निम्न-लिखित सीमा से अधिक नहीं होगी :—

विषैली धातुएं	मात्रा
सीसा	5 हिस्से प्रति मिलियन (पी सी एम)
आर्सेनिक	0.5 पी पी एम
कैडमियम	1.0 पी पी एम
पारा	0.25 पी पी एम

5. विनिर्दिष्ट भाग में एंटीआक्सीडेंट की खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत जैसी अनुमति दी गई है प्रयोग की जायेगी।

6. विनिर्माता द्वारा शैल्फ की अवधि की घोषणा और अंकन किया जायेगा।

श्रेणी 2 : वनस्पति (हाइड्रोजनेटिड खाद्य तेल)

1. उत्पाद में निकल की मात्रा 0.1 भाग प्रति मिलियन से अधिक नहीं होगी।

2. उत्पाद हानिकर रसायनों, बैक्टीरियल तथा एफ्लटोक्सिनों से रहित होगा।

3. उत्पाद में कीटनाशी अवशेष (यदि कोई हो) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली में यथा-निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।

4. उत्पाद का विनिर्माण पोलिमाइक्लीकेरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों सहित किसी प्रकार के कार्सिनोजेनिक पदार्थों से नहीं किया जायेगा।

5. विषैली धातुओं की मात्रा निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होगी :—

विषाक्त धातुएं	मात्रा
सीसा	5.0 पी पी एम
कार्सेनिक	0.5 पी पी एम
कैडमियम	1.0 पी पी एम
पारा	0.25 पी पी एम

6. विनिर्माता शैल्फ अवधि की घोषणा और अंकन करेगा।

7. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत अनुज्ञेय एंटीआक्सीडेंट ही, यदि आवश्यकता हो, इस्तेमाल किये जायेंगे।

ख. (1) चाय

1. उत्पाद, प्रयुक्त चाय की पत्तियां, ग्रिट, रेत, अन्य पादपों के पत्तों जैसे अपमिश्रणों से रहित होगा।

2. उत्पाद रेंसिड रहित होगा और उसकी अपनी विशिष्ट फ्लेवर होनी चाहिये।

3. लौह की मात्रा 200 पी पी एम से अधिक नहीं होगी और लौह कणों का आकार 2 मि.मी. से अधिक नहीं होगा।

4. सीसे की मात्रा 5 पी पी एम से अधिक नहीं होगी।

5. उत्पाद में किसी प्रकार का अतिरिक्त रंग अथवा अतिरिक्त फ्लेवर सामग्री नहीं होगी।

6. उत्पाद फफूंदी रहित होगा।

7. उत्पाद में कीटनाशी अवशेष (यदि कोई हों) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली में यथा-निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।

ग. (2) काफी

1. काफी बीन में कीटों, फफूंदी और कृन्तकों के कारण कोई खराबी नहीं होनी चाहिये।

2. उत्पाद में धागे, पत्थर, धूल, काष्ठ, शीशे और धातुओं के टुकड़ों जैसी कोई बाह्य सामग्री नहीं होनी चाहिये ।

3. उत्पाद में किसी प्रकार का अतिरिक्त रंग, फ्लेवर नहीं होना चाहिये तथा उत्पाद रैंसिडिटी से रहित होना चाहिये और उसकी एक विशिष्ट फ्लेवर होनी चाहिये ।

4. उत्पाद में इंडेनिथन और अन्य जड़ों, एक्रोन, फिग, डेट, पत्थर तथा अनाज जैसे अपमिश्रण नहीं होने चाहिये ।

5. उत्पाद में कीटनाशी अवशेष (यदि कोई हो) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली में यथा-निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे ।

नोट 1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत बनाई गई नियमावली में, खाद्य तेल में सामान्यत: पाये जाने वाले महत्वपूर्ण कीटनाशी अवशेषों के संबंध में सहन सीमा नहीं आती । सी सी एफ सी ईकोमार्क के लिये कीटनाशी अवशेषों को सहन सीमा के साथ-साथ उसकी सूची भी प्रदान करेगा।

नोट 2. केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान तथा औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान कार्सिनोजेनिक घटकों की एक सूची भारतीय मानक ब्यूरो को देंगे और उसमें होने वाले परिवर्तनों के संबंध में ब्यूरो को सूचित करते रहेंगे।

3. भारतीय मानक ब्यूरो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल विशेषताओं के लिये वैकल्पिक मानक बना सकता/शामिल कर सकता है ।

4. आपत्तियां दायर करना : खाद्य तेलों, चाय और काफी को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होने की पर्ची लगाने के लिये इन मापदण्डों के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति कोई आपत्ति दायर करना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर उप सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में अपनी आपत्ति भेज सकता है ।

[सं. 23/6/91-पी एल]

देमिराज्, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 1992

GSR 600(E).—In exercise of the decision recorded in paragraph 5 of the Resolution of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, published vide GSR No. 85(E) dated 21-2-91 in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub Section (i) the Central Government hereby notifies the following criteria for labelling EDIBLE OILS, TEA AND COFFEE AS ENVIRONMENT FRIENDLY PRODUCTS.

1. GENERAL REQUIREMENTS:

(i) All formulation of edible oils, tea and coffee shall meet relevant standards of Bureau of Indian Standards pertaining to quality.

(ii) The product manufacturer must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 respectively alongwith the authorisation if required, under Environment (Protection) Act 1986 and the rules made thereunder to Bureau of Indian Standards while applying for the ECOMARK; and the product shall be in accordance with the Prevention of Food Adulteration Act 1954 and the rules made thereunder unless otherwise specified. Additionally, in case of Vanaspati, the manufacturer shall comply with the provisions under Vegetable oil Products Control Order, 1975 issued by the Director of Vanaspati, Ministry of Civil Supplies, Government of India.

(iii) The product must display a list of critical ingredients in descending order of quantity present (% W/W, or V/V). The list of such ingredients shall be identified by Bureau of Indian Standard.

(iv) The product packing may display in brief the criteria based on which the product has been labelled environment friendly.

(v) The material used for product packing shall be recyclable or biodegradable and the criteria for packaging as Environment Friendly shall also apply.

2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENT

A. EDIBLE OILS

Category 1 : Raw and Refined Edible Vegetable Oil.

(i) The product shall be free from aflatoxins.

(ii) The pesticide residues (if any), in the product shall not exceed the limits as prescribed in Prevention of food Adulteration Act, 1954 and rules made thereunder.

(iii) The product shall not be manufactured from or contain any carcinogenic substances including polycyclicaroma tic hydrocarbons.

(iv) The toxic metal concentration (if any) shall not exceed the following limits:

Toxic Metals	Concentrations
Lead	5 parts per million (PPM)
Arsenic	0.5 ppm
Cadmium	1.0 ppm
Mercury	0.25 PPM

(v) Antioxidants as permitted under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 in specified quantities shall be used.

(vi) Shelf life shall be declared and marked by the manufacturer.

Category 2 : Vanaspati (hydrogenated Vegetable Oil)

(i) Nickel concentration in the product shall not exceed 0.1 part per million.

(ii) The product shall be free from obnoxious chemicals, bacterial and affatoxins.

(iii) The pesticides residues (if any) in the product shall not exceed the limits as prescribed in Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Rules made thereunder.

(iv) The product shall not be manufactured from or contain any carcinogenic substances including polycyclicaromatic hydrocarbons.

(v) The toxic metal concentrations (if any) shall not exceed the following limits:

Toxic Metals	Concentrations
Lead	5.0 ppm
Arsenic	0·5 ppm
Cadmium	1.0 ppm
Mercury	0.25 ppm

(vi) Shelf life shall be declared and marked by the manufacturer.

(vii) Only permitted antioxidants under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 shall be used, if required.

B. (I) TEA

(i) Product shall be free from adulterants like spent tea leaves, grit, sand, leaves of other plants.

(ii) Product shall be free from rancid and should have its characteristic flavour.

(iii) The content of iron shall not exceed 200 ppm and the size of iron particles shall not exceed 2mm.

(iv) Lead content shall not exceed 5 ppm.

(v) The product shall be free from any added colouring or added flavour material.

(vi) Product shall be free from mould growth.

(vii) The pesticides residues (if any) shall not exceed the limits as specified in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Rules made thereunder.

C. (II) COFFEE

(i) Coffee beans shall be free from infestation due to insect, fungus and rodents.

(ii) Product shall be free from any extraneous matter like strings, stone, dirt, wood, glass and metallic pieces.

(iii) Product shall be free from any added colouring, flavouring and also free from rancidity and should have its characteristic flavour.

(iv) Product shall be free from adulterants like dandelion and other roots, acrons, figs, date, stones and cereals.

(v) The pesticides residues (if any), in the product shall not exceed the limits as prescribed in Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Rules made thereunder.

Note 1 : The Rules under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 does not cover the tolerance limits for all the important pesticides residues commonly found in edible oil. CCFC would provide a list of pesticides residues alongwith their tolerance limits for ECOMARK.

Note 2 : The Central Drug Research Instt. & Industrial Toxicological Research Institute would furnish a list of carcionogenic substances to Bureau of Indian Standards (BIS) and would keep BIS informed about the changes therein.

3. BIS may formulate/incorporate optional standards for environment friendly characteristics.

4. Filing of Objections : Any person interested in filing any objection against these criteria for labelling as Edible Oils, Tea and Coffee as environment friendly may do so in writing to the Deputy Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003 within sixty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. 23(6)/91-PL]
KESHAV DESIRAJU, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992